



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223122
CG-DL-E-18112020-223122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585]
No. 585]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 716(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची (मनोरोग, समाज कार्य के सहायक प्रोफेसर) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाए अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में मनोरोग समाज कार्य के सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, मनोरोग समाज कार्य के सहायक प्रोफेसर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिम्मीकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मनोरोग समाज कार्य के सहायक प्रोफेसर	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिबीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्य अर्हताएं:</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज-कार्य या समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री।</p> <p>(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोरोग समाज-कार्य में एम.फिल</p> <p>(3) किसी मानसिक अस्पताल, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक या सामान्य अस्पताल के मनोरोग विभाग में मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तीन वर्ष शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव।</p> <p>वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज-कार्य या समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री।</p>	लागू नहीं होता	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-ब्राह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, माध्यागतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> उप महानिदेशक (चिकित्सा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; निदेशक, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य है।

[फा. सं. ए.11019/09/2020-एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2020

G.S.R. 716(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Psychiatry, Ranchi (Assistant Professor of Psychiatric Social Work) Recruitment Rules, 1990 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor of Psychiatric Social Work in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Assistant Professor of Psychiatric Social Work (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Professor of Psychiatric Social Work.	2* (2020) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in the pay matrix. (Rs. 56100 – 177500).	Not applicable.	Not exceeding thirty-five years of age. Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura.

					Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Qualification:</p> <p>1. Master degree in Social work or Sociology or Applied Sociology from a recognised University or institution.</p> <p>2. M.Phil in Psychiatric Social Work from a recognised University or institution.</p> <p>3. Three years teaching and research experience as a Psychiatric Social Worker in a Mental Hospital, Child Guidance Clinic or Psychiatric Department of a General Hospital.</p> <p>Desirable: Doctorate Degree in Social Work or Sociology or Applied Sociology from a recognised University or institution.</p>	Not applicable.	One year.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director General (Medical), Directorate General of Health Services - Chairman; 2. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi - Member; 3. Director (Medical Education), Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.11019/09/2020-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

